

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 121/2014 अंतर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2014/00015)

अनवान:

1. श्रवण कुमार पुत्र स्व. शिवचंद जाति धानक निवासी गांव रामपुरा न्योला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती लिछमा देवी पत्नी स्व. शिवचंद पुत्र श्री झाबर जाति धानक निवासी गांव रामपुरा न्योला तहसील सूरतगढ़ वगैरह।

बनाम

1. राजस्थान राज्य।
2. सुखवन्त सिंह पुत्र स्व. श्री पूर्णसिंह जाति जटसिक्ख निवासी चक 3 आरबीबी तह. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

13.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री जगदीश शर्मा ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण खारिज किये जाने का निवेदन किया। अतः प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नहीं होने के कारण प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया। अतः अपील हिदायत पैरवी नहीं (No Instruction) होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

No Justification
Pawar
Gm

